सं. डब्ल्यू-11042/15/2014/एनआरडीडब्ल्यूपी/जल-।

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

****

9वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 10 सितम्बर, 2014

विषय : निष्क्रिय जलापूर्ति स्कीमों की स्थिति से संबंधित सर्वेक्षण।

विभिन्न स्रोतों से मंत्रालय को यह ज्ञात हुआ है कि राज्य में कई ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हैं। तथापि, इस मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन निष्क्रिय स्कीमों की संख्या कुल स्कीमों की संख्या का मात्र 2.16 प्रतिशत है।

आँकड़ों के इस भारी अंतर को देखते हुए, जैसा कि विभिन्न स्रोतों द्वारा मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है, यह अनुरोध है कि तत्काल अपने राज्य में सभी निष्क्रिय जलापूर्ति स्कीमों/प्रणालियों का स्थल पर उचित आकलन/सर्वेक्षण करें और आईएमआईएस पर निष्क्रिय/कार्य न कर रही स्कीमों की स्थिति चिन्हित करें। कार्य प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के भीतर पूरा करें और मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सत्यब्रत साहु)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रधान सचिव, ग्रामीण जलापूर्ति और इंजीनियर इन चीफ/मुख्य अभियंता,
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीएचईडी